LL.B. V Sem. Examination, Dec. 2017
LAW Code of Criminal Procedure Code, Juvenile Justice Act and Probation of Offenders Act

Time: Three Hours] (K-5002) [M.M.:100

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।
Attempt all the Sections as per given instructions.

खण्ड-अ (Section-A)

Note: सभी पाँच प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt all the five questions. Each question carries 4 marks. Very Short Answer is required not exceeding 75 words.

1. अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में क्या अन्तर है?
   What is the distinction among investigation inquiry and trial ?
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट और परिवाद को परिभाषित करें तथा इन दोनों के बीच के अन्तर को स्पष्ट कीजिये। Define F.I.R. and complaint and bring out their differences?
3. परिवादी के उपस्थित न होने से या उसकी मृत्यु होने से मजिस्ट्रेट द्वारा 'सम्मन मामलों' के विचारण में क्या प्रभाव होता है? What is the effect of Non-appearance or death of complainant in a trial of 'Summon's cases' by a Magistrate?
4. क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? Can a court alter a charge?
5. परिवीक्षा-अधिकारी के दो कर्त्तव्य बताइये।
   Give two duties of a 'Probation Officer'.

खण्ड-ब (Section-B)

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt any two questions out of the following three questions.Each question carries 10 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

6. गिरफ्तार व्यक्ति के कौन से संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हैं?
   What are constitutional and legal rights of an arrested person?
7. कार्यवाही शुरु करने के लिये अपराध का संज्ञान कौन सा न्यायालय ले सकता है?
   Which court can take cognizance of an offence for initiation of proceedings?
8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही कैसे प्रारम्भ की जाती है? How are proceedings commenced before a Magistrate under section 204 of code of Criminal Procedure,1973?

खण्ड-स (Section-C)

Note: निम्नलिखित छः प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। Attempt any three questions out of the following six questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक जिले मे कितने प्रकार की अदालतें गठित की जाती हैं? सबके बारे मे लिखें। साथ ही इन अदालतों की शक्तियों के बारे में भी लिखें।
What are different criminal courts established under Cr.P.C. in a Distt ? Write about each one. Also write about their powers.

10. जमानत किसे कहते हैं? गैर जमानतीय अपराधों में जमानत के नियमों का वर्णन कीजिये। एक अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत अपने अधिकार के रूप में कब माँग सकता है? What is Bail? Discuss ruler relating to Bail in 'Non- Bailable' offences. When can an accused claim Bail as a matter of right under code of Criminal Procedure?

11. क्या पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान दर्ज किये गए गवाहन तथा अभियुक्तों के बयान साक्ष्य में ग्राह्य हैं? यदि हाँ तो उन बयानों का आपराधिक कार्यवाही में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? Are the statements of the witnesses and the accused persons recorded by a Police officer during the course of investigation admissible in evidence? If so, How they can be used in a Criminal Proceedings?

12. आरोप को परिभाषित कीजिये। आरोपों के संयोजन सम्बन्धी नियमों की विवेचना कीजिये। Define 'Charge'. Discuss the ruler which govern the joinder of 'Charges'.

13. पुलिस केस पर आधारित वारण्ट मामले का मजिस्ट्रेट विचारण के बारे में लिखिये।
Write about Magistrate Trial of warrant case instituted on a police report.

14. भारत में किशोर-न्याय व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
Critically examine the Juvenile Justice in India.